संख्या-124/2017/2091/26-3-2017-10(10)/2005 टी.सी.।।

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 11 अगस्त, 2017

विषयः- प्रदेश में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्व नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) में कक्षा-9 से 12 तक स्मार्ट क्लासेज संचालित किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-535/स0क0/01-2016/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ/कम्प्यूटर क्रय/2017-18, दिनांक-30.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-31/2017/239/26-3-2017, दिनांक-27.03.2017 द्वारा प्रदेश में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा 19 संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्व नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) में कक्षा-9 से 12 तक स्मार्ट क्लासेज संचालित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में 43-सामग्री सम्पूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि रूपया-2600.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपया-698.25 लाख में से धनराशि रूपया-80.845 लाख स्वीकृत धनराशि कोषागार द्वारा बिल पारित न होने के कारण भुगतान न होने के फलस्वरूप उक्त 19 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज संचालित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-12-43-सामग्र सम्पूर्ति मद में लेखानुदान के रूप में स्वीकृत धनराशि रूपया-1083.88 लाख के सापेक्ष धनराशि रूपया-88.8668 लाख की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-59/2017/910/26-3-2017-10(10)/2005 टी.सी.-।, दिनांक-26.04.2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियो के लिये विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-43-सामग्री सम्पूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि रूपया-2600.00 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान के रूप में स्वीकृत धनराशि रूपया-1083.33 लाख निदेशक, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बिजनेस डेवलपमेन्ट एडसिल (इण्डिया) लि0 (भारत सरकार का उद्यम), नोयडा, उ0प्र0 के आगणन के अनुसार 19 विद्यालयों (जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, बदनौर, बुलंदशहर, बबेरू बांदा, मोहान रोड, लखनऊ (2), मसौधा,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फैजाबाद, धनवार, हरदोई, सकरौला, करनैलगंज, गोंडा, समौधा, बछरावा रायबरेली, ओबरा, सोनभद्र, मानिकपुर, चित्रकूट, टप्पा भानपुर बस्ती, घोरावल, सोनभद्र, कछौना, हरदोई, भोगांव, मैनपुरी, दुनारा, झांसी, पैढ़त, फिरोजाबाद, रेहरिया, खीरी, राबर्टसगंज, सानेभद्र को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है।) में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-12-43-सामग्री सम्पूर्ति मद में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रूपया-2600.00 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017) हेतु स्वीकृत लेखानुदान धनराशि रूपया-1083.33 लाख (रूपये दस करोड़ तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रूपया-88.8668 लाख (रूपये अठ्ठासी लाख छियासी हजार छः सौ अस्सी मात्र) व्यय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों और सेवाआंे पर व्यय के लिये न किया जाय।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि से विद्यालयों के उपयोगार्थ सामग्री एवं सम्पूर्ति आदि का क्रय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं स्टोर पर्चेज रूल्स के तहत किया जाय।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने के पश्चात उपयोगित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

संख्या-124/2017/2091/(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
4- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0।
9- सम्बन्धित अधीक्षक/प्राधानाचार्य, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्व नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय), उ0प्र0
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in